रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 323] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 1975/भाद्र 4, 1897
No. 323] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 1975/BHADRA 4, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 26th August 1975

S.O. 447(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been a substantial fall in the volume of production in respect of jute products manufactured in the industrial undertaking known as Shree Ambica Jute Mills, Calcutta, for which, having regard to the economic conditions prevailing, there is no justification;

And whereas the Central Government is further of the opinion that the said industrial undertaking is being managed in a manner highly detrimental to the scheduled industry concerned and to the public interest;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of :—

Chairman

1. Shri K. K. Chatterjee, Industrial Adviser in the office of the Jute Commissioner, Calcutta.

Members

2. Shri N. Ray, Deputy Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, Calcutta.
3. Dr. U. Bhattacharya, Executive Director, National Textile Corporation (West Bengal, Assam, Bihar and Orissa), Calcutta.
4. Shri N. C. Bardhan, Assistant Cost Accounts Officer, Office of the Jute Commissioner, Calcutta.

[No. F.3/3/75-CUC]
D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1975

का० आ० 447 (अ).—केन्द्रीय सरकार की राय है कि श्री अम्बिका जूट मिल्स, कलकत्ता, नामक औद्योगिक उपक्रम में जूट उत्पादों के विनिर्माण की बाबत उत्पादन की मात्रा में तात्विक गिरावट आ गई है, जिसके लिए विद्यमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई औचित्य नहीं है ;

तथा केन्द्रीय सरकार की यह और राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ऐसी रीति से किया जा रहा है जो सम्बद्ध अनुसूचित उद्योग तथा लोक हित के लिए अति अहितकर है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले की परिस्थितियों की पूर्ण जांच-पड़ताल करने के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त करती है, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

अध्यक्ष

1. श्री के० के० चटर्जी, औद्योगिक सलाहकार, जूट आयुक्त कार्यालय, कलकत्ता ।

सदस्य

2. श्री एन० राय, उप-सचिव, बन्द तथा रुग्ण उद्योग विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार, कलकत्ता ।
3. डा० यू० भट्टाचार्य, कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम (प० बंगाल, आसाम, बिहार और उड़ीसा) कलकत्ता ।
4. श्री एन० सी० बर्धन, सहायक लागत लेखा अधिकारी, कार्यालय जूट आयुक्त, कलकत्ता ।

[सं० फा० 3/3/75—सी०यू०सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975